

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 68/2017

- 1- श्री लादूराम पुत्र हीरा उम्र बालिग
- 2- घीसी पुत्री हीरा उम्र बालिग
- 3- गीता पुत्री हीरा उम्र बालिग
- 4- शांति पुत्री हीरा उम्र बालिग
- 5- श्रीमति सायरी पत्नि हीरा उम्र बालि

समस्त जाति ढोली निवासीयान ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जि0अजमेर

-----वादीगण

ब न म

राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला-अजमेर

-----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय

दिनांक 8.6.2018

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी के खसरा नंबर 1091/1952 एकबस 01-14-00, 1402/1951 रकबा 00-17-00, 153 रकबा 02-05-00, 228 रकबा 03-05-00, 428/1939 रकबा 01-10-00, 1049 रकबा 06-00-00, 1123 रकबा 02-19-00 कुल रकबा 18-10-00 भूमियां वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजियात संवत् 2041 में राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजियात वादीगण के पिता उदा पिता रेवता के नाम अलोट की थी जो नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 12.7.1984 को वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण बतौर भूदान होल्डर के रूप में दर्ज हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा नामान्तकरण संख्या 1705 दिनांक 14.12.2010 के द्वारा भूदान होल्डर को विलोपित किया गया था। उक्त आराजियात वादीगण के पिता के वक्त अलोटमेंट के वक्त से ही कब्जा चला आ रहा है, तभी से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण पिछले 33 साल से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के सुखाधिकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं। जिससे वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कराने का एक मात्र अधिकारी है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को गलत इन्द्राजो के आधार पर खुर्द बुर्द कर देगा और कई लोगो के नाजायज कब्जा करा देगा। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारीत की जाकर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो वादीगण के उक्त आराजियात में गैर खातेदार लिखा है, उससे हटाकर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण को विवादित आराजियात से बेदखल नही करे तथा हस्तांतरित परिवर्तित आदि नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी ने विवादित भूमियां वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा कमाण्ड ऐरिया में होने से खातेदारी नही दी जा सकती है। अतः वाद खारीज किया जावे।

प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी लादूराम व कैलाशचन्द ने आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत शपथ पत्र पेश कर कथन अपने वाद पत्र के कथनो का समावेश किया और दावा स्वीकार करने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनसुार विवादित भूमियां वादीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। उनके पूर्वज के स्वर्गवास के बाद वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमाण्ड ऐरिया

.....लगातार

राजस्व वाद संख्या 68 सन् 2017


श्री लादूराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

// 2 //

में विवादित भूमियां होने के कारण उन्हें खातेदासी प्रदान किया जाना न्यायचित प्रतित नहीं होता है, अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/6/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुरेश चावला)  
(स्वास्थ्य अधिकारी)  
जुमराखण्डा अधिकारी मसूदा  
मसूदा (अजमेर) राज०

